प्रशासन गांवों की ओर अभियान 2021

रिपोर्ट पटवारी हल्का / कानूनगो हल्का

आवेदन पत्र की सत्यता में जांच की गई। जिसके अनुसार [illegible] जमाबन्दी वर्ष 2017-2018 के [illegible] में खाता [illegible] का नाम गोपालसिंह [illegible] दर्ज है जो कि सही है। परन्तु [illegible] गोपालराम पुत्र जीतराम है जो कि सही नाम है। [illegible] आवेदन पत्र में खाता का नाम गोपालसिंह [illegible] गोपालराम पुत्र जीतराम दर्ज करना प्रस्तावित है। प्रार्थी के पक्ष में उचित

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

क्रमांक : राजस्व / 2020 /

दिनांक :-

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरूस्त किया जाना उचित है / उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरूस्त किये जाने की अभिशंसा की जाती है / नहीं की जाती है।

दुरुस्त किया जाना उचित है।

9/11/2021

तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

1108
9-11-21

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं (राज.)

आदेश :-

दिनांक :- 9-11-2021

प्रार्थी के "खाता दुरूस्ती" प्रार्थना पत्र, मत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्वत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1.	मझाऊ	2017-18	62	गोपालसिंह पुत्र जीता	गोपालराम पुत्र जीताराम

नोट :-शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 9-11

क्रमांक :- राजस्व / 2020 / 879-880

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी / प्रार्थीया ..... को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदय

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.01.09 12:01:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamSca